छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 6-22/2011/20-तीन
प्रति,
रायपुर, दिनांक ....

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)
डब्ल्यू.आर.सी. मानस भवन, श्यामला हिल्स,
भोपाल, (म.प्र.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2011-12 से बी.एड.पाठ्यक्रम प्रारंभ/सीट्स वृद्वि करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा कमलकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट भाटापारा, जिला रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2011-12 से बी.एड.पाठ्यक्रम (100 सीट्स) प्रारंभ/सीट्स वृद्वि करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा अनुशंसा किया जाता है :-

1. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड से पाठ्यक्रम की संबद्वता प्राप्त करना होगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भोपाल से मान्यता प्राप्त करना होगा ।
2. संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के लोकहित में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा
3. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रकिया राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार काउंसलिंग/अन्य चयन प्रकिया के अनुसार किये जायेंगे ।
4. संस्था को राज्य शासन द्वारा कोई अनुदान/सहायता नहीं दी जायेगी ।
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार पर्याप्त राशि, भवन,फर्नीचर एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी ।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार परिषद् द्वारा किये निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करनी होगी ।

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 6-22/2011/20-तीन 5124
रायपुर, दिनांक 06/7/2011
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर ।
5. कुल सचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर/गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोनी बिलासपुर/बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर/सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर।
6. प्राचार्य/प्रबंधक कमलकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट भाटापारा, जिला रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

joshi